यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रूद्रप्रयाग के माह 01/2015 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 15/09/2017 से 22/09/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2015 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद- रूद्रप्रयाग- NH-58, 107, 107A, जनपद- चमोली- NH-107A, 87E, (109)।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	0.12	0.12	2.02	1.81		0.21
2015-16	-	-	1.14	1.14	7.49	7.03		0.46
2016-17	-	-	1.47	1.47	3.74	3.74		-
2017-18 (7/17तक)			1.61	0.98	0.52	0.36		0.16

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `

शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **B** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, रा.मा. लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व., उत्तराखण्ड

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रूद्रप्रयाग को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। मा. मु. राहत कोष से रूद्रप्रयाग- गौरीकुण्ड, रा.मा. स. 107 (पुराना- 109) में BRO द्वारा छोडे गये कार्यों का निर्माण का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 06/12/2016 से 10/12/16 का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/16 तथा 09/16 तक की गई।

4. फार्म 51: माह 08/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - शून्य

   भाग द् वतीय - ₹ शून्य

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/17 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ शून्य

   (ख) सामग्री क्रय – शून्य

   (ग) नगद परिशोधन - शून्य

   (घ) निक्षेप- ₹ 77697266/-

   (ङ) भण्डार- ₹ शून्य

भाग २ ब

प्रस्तर 1: उपखनिजो पर ठेकेदार से 5.93 लाख की कम रायल्टी वसूल कया जाना। उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016, 842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अ धसूचना का स्तम्भ-1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

उक्त के परिप्रेक्षय में अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राज मार्ग, रुद्रप्रयाग के संबं धत अ भलेखों, माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जॉच में पाया गया क खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती मार्च 2016, अप्रैल 2016, फरवरी 2017 से अगस्त 2017 तक नहीं की गयी थी। अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक-26.02.2016 से 18 मई 2016 तक `121.55 प्रति घन मीटर तथा 19 मई 2016 से 27 अक्तूबर 2016 तक 96.25 प्रति घन मीटर व 28 अक्तूबर 2016 से अब तक 107.80 प्रति घन मीटर[1] संशो धत /वृद् ध कया गया था जब क खंड द्वारा रायल्टी की कटौती 90 प्रति घन मीटर अक्तूबर 2016 तक व 96.25 प्रति घन मीटर 26 अक्तूबर 2016 से आति थ तक (अगस्त 2017) की गयी थी। अगर खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो 5.93 लाख रायल्टी के रूप में और राजस्व प्राप्त होती अर्थात (33.94- 28.01 लाख = 5.93 लाख) की राजस्व की कम वसूली हुई है। इस के अतिरिक्त खण्ड द्वारा contractors ledger नहीं बनाया जा रहा है जिस कारण से contractor wise कुल वसूली कए जानी वाली रा श नहीं निकली जा सकी।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क खंड द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-1207 दिनांक 2015 के निर्धारित दर 90 प्रति घन मीटर से रायल्टी की कटौती 26 अक्तूबर 2016 तक व 96.25 प्रति घन मीटर रायल्टी की कटौती जिला धकारी के पत्र अनुसार काटा गया है तथा उनसे पुनः पत्र संद र्भत कया जा रहा है यदि फर से आदेश प्राप्त होते है तो ठेकेदार के वभाग के पास उपलब्ध धनरा श से रायल्टी की वसूली की जाएगी। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क अ धसूचना का स्तम्भ-1

[1] 28 ओक्तुबर 2016 के अनुसार निर्धरित दर `154* 50% = ` 77+ `77 पर 15% रिवर ट्रानिंग + `77 पर 10% वकास शुल्क + `77 पर 15% क्षतिपूर्ति

स्पष्टतः उल्लि खत था क संशो धत रायल्टी दरें अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी अतः अलग से जिला धकारी से दिशानिर्देश प्राप्त कया जाना आवश्यक नहीं है।

अतः उपखनिजो पर ठेकेदार से 5.93 लाख की कम रायल्टी वसूल कये जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग २ ब

प्रस्तर 2: भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर **@100** के अनुसार 7 रोड कटिंग चार्ज के कार्यो पर ` 1.93 करोड़ की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्राप्त न कया जाना।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/ प्राइवेट संस्थान जैसे जल निगम/, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल पाइप लाइन बिछाने / के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग दुवारा खण्ड को प्रदान की जाती है। इसकी गणना की दर प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून द्वारा 16/5/2011 व 22/9/2016 के अनुसार निर्धारत की जाती है।

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राज मार्ग, रुद्रप्रयाग के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड द्वारा राष्ट्रीय राज मार्ग 58, 107, 107 ए व 87 पर 'रोड कटिंग चार्जेज' के रूप मे `14.35 करोड़ की गणना एस०ओ०आर० से की गयी जब क उक्त की गणना प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहरादून द्वारा 16/5/2011 व 22/9/2016 के अनुसार निर्धारित की जानी थी। RoW की स्वीकृति की प्रति ल प आर०ओ० (भारत सरकार) को भी नहीं भेजी गयी थी। इस के अतिरिक्त अ भलेखो मे यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा इन प्रोजेक्ट पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर @100 के अनुसार परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (संलग्न के अनुसार) जो क कम से कम 1 वर्ष के लए लया/ निर्धारण कर भारत सरकार को जमा कया जाना था भी नहीं कया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध मे खण्ड द्वारा अवगत कराया क 11 मे से तीन कार्यो पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्राप्त की गयी है व वर्तमान मे अनुपालन करते हुये इन पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्राप्त कर ली जायेगी जब क RoW की स्वीकृति की प्रति ल प आर०ओ० (भारत सरकार) को भी क्यो नहीं भेजी गयी के सम्बंध मे कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की। खण्ड के उत्तर से स्वय ही लेखा परीक्षा की टिप्पणी की पुष्टि हो रही है।

अत: भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर @100 के अनुसार 7 रोड कटिंग चार्ज के कार्यो पर ` 1.93 करोड़ की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्राप्त न कया जाना व RoW की स्वीकृति की प्रति ल प आर०ओ० (भारत सरकार) को नहीं भेजने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग २ ब

प्रस्तर **3**: रोड कटिंग चार्जेस' से व्यय वर्तन रु **29.37** लाख।

Financial rules State that the funds received for a particular work should be untilled for the said purpose /work for which it is paid/granted and if any amount remains untilled it should be surrendered/credited back to the government accounts.

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/प्राइवेट संस्था जैसे क जल निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल पाइप लाइन बिछाने के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग दुवारा खण्ड को प्रदान की जाती है जिसको उसी कार्य पर उपयोग कया जाना होता है जिस के लए आगणन के अनुसार धनरा श प्राप्त की गयी हो।

खण्ड के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड को Reliance Jio Infocomm LTD , Meerut के पत्र संख्या 35 दिनाक 10-06-2016 राष्ट्रीय राजमार्ग 07के की०मी० 00 से 35 तक ओ0एफ0 डी0 लाइन बिछाने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप रु ड्राफ् 12461000 संख्या 716002दिनाक 01-06-2016 जमा प्राप्त की गयी आगे अ भलेखो मे पाया गया क खण्ड द्वारा उक्त धनरा श मे से रु1.23 करोड़ इस कार्यो के साथ साथ व्ययवर्तन करते हुवे रु 29.37 लाख अन्य व भन्न कार्यो जैसे क एफ़०डी०आर०, पी०आर०, ओ० आर० एवं कार्यालय व्यय पर भी उपयोग कया जो क नियम अनुसार नहीं हे।

उपरोक्त के सम्बंध मे खण्ड द्वारा अवगत कराया क मार्ग पर कार्यो की अवश्य्क्तानुसार इन कार्यो को करवाया जाना अति आवश्यक था खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क इन कार्यो के लए खंड को अलग से बजट प्रावधान प्राप्त होते हे और खंड द्वारा व्यय 'रोड कटिंग चार्जेज' से व्यय वर्तन कर इन कार्यो का निष्पादन कया गया जो नियम वरुद है ।

अत: रोड कटिंग चार्जेज' से रु 29.37 लाख व्यव वर्तन कर अन्य कार्यो का निष्पादन कया जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर **1:** कार्य के सम्पादन मे 20.85 लाख का आ धक्य व्यय व कार्य समाप्ती के उपरान्त अवशेष धनरा श `33.69 लाख जिला धकारी को हस्तांतरित न कया जाना।

जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 रुद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड मार्ग पर सीमा सड़क संगठन द्वारा यथास्थिति में छोड़े गए अधूरे सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 1285/XXXI-14/2014-15, दिनांक 30-03-2015 द्वारा `296.40 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी थी. उक्त कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयंता ,रा.मा. एवं सेतू) ग. क्षे देहारादून के पत्रांक/1525 - 02 रा.मा उ./14-15-.दिनांक 24/04/2015 के माध्यम से `296.46 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य के आगणन में कमी. 10चैनेज 9.620 व चैनेज ,9.650 कमी 15 .चैनेज 14.400 व ,14.700 कमी 22 .चैनेज कमी. 23 ,21.400चैनेज कमी. 26 ,22.120 चैनेज कमी. 27 ,25.750 चैनेज26.045 व चैनेज26.250 एवं चैनेज ,26.445 कमी 28 .चैनेज कमी. 35 ,27.070 चैनेज 34.260में दीवारों का निर्माण एवं रुद्रप्रयाग बाईपास मार्ग के कमी. 1 में सुरक्षात्मक कार्य प्रा वधान कये गए.

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राज मार्ग, रुद्रप्रयाग कार्य के अ भलेखो की जांच मे पाया क कार्य पर नि वदा प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्ति होने से पूर्व ही आमंत्रित की गयी थी व कार्य को टुकड़ो मे बाँट कर तीन अनुबन्ध द्वारा कराया गया जिस मे मदों की दर मे अन्तर के कारण कार्य पर ` 7.23 लाख (सलग्नक के अनुसार) की बचत नहीं हो सकी। आगे यह पाया गया क यह कार्य मई 2016 मे समाप्त कया गया था व कार्य पर कुल `262 .77 लाख का व्यय कया गया है ले कन अवशेष धनरा श `33.69 लाख जिस को जिला धकारी को हस्तांतरित कया जाना था को खण्ड के निशपेक्ष मद मे आति थ तक रखी गयी है। आगे अ भलेखो की जांच मे यह भी पाया गया क अनुबन्ध संख्या - एसई/एनएच 1810/2015-16 के अंतर्गत कार्य पूर्ण होने के ति थ 31/8/थी ले कन कार्य 6 2015/5/पर समाप्त कया गया जिसकी समय 2016 वृद् ध खण्ड को अप्राप्त है। कार्य पर फॉर्म 64 के अनुसार`262 .77 लाख का व्यय भारित है। जब क ठेकेदार को ` 237लाख का भुगतान कया गया है तथा स्वीकृत आगणन के अनुसार `4 .92 लाख का व्यय contingencies व quality कंट्रोल पर कया जाना था जिसके अनुसार कार्य पर `20. लाख का अ धक्य व्यय 85 कया गया है।

उपरोक्त के सम्बंध मे खण्ड द्वारा अवगत कराया क अवशेष धनरा श `33.69 लाख को जिला धकारी को हस्तांतरित कया जायेगा जब क कार्य पर `20.लाख का अ धक्य व्यय 85 के

संबंध मे कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। खण्ड के उत्तर से स्वय ही लेखा परीक्षा की टिपणी की पुष्टि हो रही है।

अतः वत्तीय हस्त पुस्तका भाग 6 के प्रस्तर संख्या 519 मे निहित प्रावधानों के अनुसार खण्ड द्वारा अवशेष धनरा श `33.69 लाख को जिला धकारी को हस्तांतरित न कया जाना, कार्य पर `20.लाख का अ धक्य 85 व्यय व कार्य को टुकड़ो मे बाँट कर तीन अनुबन्ध द्वारा कराया जाने से कार्य पर ` 7.23 लाख की बचत नहीं हो जाने के प्रकरण को उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **2: कार्य का निष्पादन बिना स्वीकृति प्राप्त किये तथा रू0 390.41 लाख दायित्व का सृजन**

वत्तीय हस्त पुस्तिका 6 के प्रस्तर संख्या

375- (a) It is a fundamental rule that no work shall be commenced unless a properly detailed design and estimate have been sanctioned, allotment of funds made, and orders for its commencement issued by competent authority. Permission granted by the Government in orders on a budget estimate, for the retention of an entry of proposed expenditure during the year on a work, conveys no authority for the commencement of outlay.

580: मे निहित प्रावधानों के अनुसार deposit कार्यो पर व्यय प्राप्त धनरा श तक सी मत रखा जाए।

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राज मार्ग, रुद्रप्रयाग कार्य के अ भलेखो की जांच मे पाया गया क वित्तीय वर्ष 2016–17 में खण्ड के अन्तर्गत रा0मा0 संख्या–58, 107, 107ए एवं 87ई0 के अन्तर्गत मानसून अवधि में भू–स्खलन एवं अत्यधिक वर्षा के कारण हुई क्षति के विरूद्ध मार्ग को यातायात हेतु सुरक्षित रखने के लिये एफ0डी0आर0 एन0 2016–17 के अन्तर्गत अनुबन्धित/आगणित लागत रू0 473.01 लाख के कार्य का निष्पादन बिना स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया। उक्त निष्पादित कार्य कर खण्ड ने पत्र सं0– 233/1सी0 दिनांक– 06.02.2017 द्वारा स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता, 10वॉ रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया। खण्ड को FDR(NEW) 2016-17 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 को मात्र रू0 82.60 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था तथा उसका भुगतान किया गया। जबकि पत्रांक No. RO/UK/FDR/2016-07/01 Dated 24.03.2017 एवं No. RO/UK/FDR/2016-07/01 Dated 24.03.2017 द्वारा क्रमशः रू0 100.00 लाख एवं रू0 30.64 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई, जबकि उक्त स्वीकृति के सापेक्ष आतिथि तक कोई आबंटन प्राप्त नही हुयी थी। निष्पादित कराये गये कार्यो के भुगतान में बिलम्ब होने से ठेकेदारों द्वारा भविष्य में ब्याज की मांग भी की जा सकती है।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि प्रशासन एवं उच्चाधिकारियाों के द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो के अनुपालन में हर समय यातायात हेतु खुला रखना पड़ता है, एफ0डी0आर0एन0 में अति आवश्यक कार्य अनुदान के

प्रत्याशा में करवाये जाते है जिससे कोई दुर्घटना ना हो एवं चारधाम यात्रा में कोई व्यवधान ना आने पाये, आगणन के सापेक्ष रू0 390.41 लाख का भुगतान किया जाना शेष है अनुदान प्राप्त होने पर अवशेष भुगतान किया जायेगा। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि कार्य का निष्पादन बिना स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया तथा अनुदान की प्रत्याशा में कार्य पर दायित्व का सृजन किया गया जिस कारण से आतिथि तक रू0 390.41 लाख दायित्व का भुगतान किया जाना अवशेष था।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
				-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रूद्रप्रयाग तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मनोज दास,	अ ध. अ भ. 25/08/2014 से 31/03/2015 तक
(ii)	श्री प्रवीन कुमार,	अ ध. अ भ. 01/04/2015 से अब तक

(iii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. के.के. सागर (01 मार्च 2015 से 29 जुलाई 2016)
2. आर.एस. राणा (30 जुलाई 2016 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II